- बिहार सरकार के सेवानिवृत्त कर्मियों पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लिए स्वास्थ्य संबंधी योजना लागू की गयी।
- नालंदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, पटना में विभिन्न योजनाओं यथाः सेन्टर फॉर एक्सीलेन्स के भवन का शिलान्यास एवं पैथोलॉजी केन्द्र, डायलिसिस केन्द्र, ऑनलाईन केन्द्रीय पंजीकरण सुविधा, स्टेट रिसोर्स सेन्टर तथा मेडिकल ICU का शुभारम्भ किया गया।
- लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना में जोड़ प्रत्यारोपण की सुविधा का शुभारम्भ किया गया।
- इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना में बिहार आई बैंक, पेडक्लिनिक, सर्जिकल वार्ड, ब्लड सेपरेशन यूनिट, आपातकालीन सर्जरी कक्ष एवं अभियंत्रण भवन का उद्घाटन किया गया।
- दन्त चिकित्सा एवं दन्त चिकित्सकों की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से पैठना, रहुई (नालंदा) में नये दन्त चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।
- "नई पीढ़ी स्वास्थ्य गारंटी कार्यक्रम" के तर्ज पर "राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम" प्रारंभ किया गया। इसके अन्तर्गत 0-18 वर्ष के सभी बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उनका स्वास्थ्य कार्ड बनाने के साथ-साथ रेफरल एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की व्यवस्था की गयी।
- राज्य में वर्ष 2017 तक कुष्ठ उन्मूलन के लक्ष्य को पूरा करने हेतु कुष्ठ रोगियों को निःशुल्क इलाज हेतु मल्टीपल ड्रग थेरेपी की दवा का मुफ्त वितरण किया गया।
- राज्य में पोलियो उन्मूलन के लिए चरणबद्ध तरीके से विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन किया गया जिसके कारण राज्य पोलियो मुक्त हुआ।
- 3 नये मेडिकल कॉलेज यथाः इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान में चिकित्सा महाविद्यालय, पटना, वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालंदा एवं राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया की स्थापना की गयी। इस प्रकार राज्य में सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या 9 हो गई।
- सरकार द्वारा चार नये मेडिकल कॉलेज मधेपुरा, पूर्णियाँ, समस्तीपुर एवं सारण (छपरा) में स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गयी।
- सरकारी प्रक्षेत्र में छः मेडिकल कॉलेज यथाः पटना चिकित्सा महाविद्यालय, नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय एवं जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर में 6 सुपर स्पेशियलिटी विभाग यथाः न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, रेडियोथेरेपी एवं जेरियाट्रिक्स विभाग स्थापित करने का निर्णय लिया गया। आई0जी0आई0एम0एस0 में हृदय रोग की विशिष्ट चिकित्सा एवं आई0 बैंक की स्थापना तथा गुर्दा प्रत्यारोपण एवं टर्शियरी कैंसर सेंटर को स्थापित करने की कार्रवाई की गयी।
- तीन अस्पतालों को सुपर स्पेशिएलिटी अस्पताल के रूप में विकसित किया गया है, जिसमें हड्डी के लिए पटना के राजवंशी नगर अस्पताल (लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल) तथा आंख के लिए राजेन्द्र नगर नेत्र अस्पताल, पटना को सुपर स्पेशिएलिटी अस्पताल के रूप में विकसित किया गया है तथा किडनी एवं मधुमेह की विशिष्ट चिकित्सा के लिए न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल, पटना को विकसित किया गया।
- बिहार क्लीनिकल स्टैब्लिसमेंट एक्ट, 2013 लागू किया गया।
- राज्य में स्थापित मानसिक आरोग्यशाला, कोईलवर का सुदृढ़ीकरण कर बेडों की संख्या 85 से बढ़ाकर 265 बेड किया गया।
- देश में पहली बार बिहार राज्य में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले चिकित्सकों/ पदाधिकारियों/कर्मियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष 2015 से बिहार स्वास्थ्य सेवा रतन एवार्ड प्रारंभ किया गया।
- सेवानिवृत्त सरकारी कर्मियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के मानक के अनुसार वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया।
- राज्य में सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों एवं चिकित्सा संबंधी सुविधाओं के लिए निजी क्षेत्रों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लोक निजी भागीदारी के तहत जय प्रभा अस्पताल, कंकड़बाग, पटना में सुपरस्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना करने की कार्रवाई प्रारंभ की गयी।
- राज्य में राजमार्गों के किनारे 9 अत्याधुनिक ट्रामा सेन्टर की स्थापना की कार्रवाई प्रारंभ की गयी। ये ट्रामा सेन्टर अनुमंडलीय अस्पताल, झंझारपुर, सदर अस्पताल, किशनंगज, मधेपुरा, रोहतास, गोपालगंज, पूर्णियाँ एवं ए0एन0एम0सी0एच0, गया, डी0एम0सी0एच0, दरभंगा एवं एस0के0एम0 सी0एच0, मुजफ्फरपुर में स्थापित किया जाना है।

वर्ष 2015 से 2020

- स्वास्थ्य सुविधा जन-जन तक पहुंचाने के लिए विभिन्न स्तरों के अस्पतालों का निर्माण करने से ही समस्या का निदान संभव नहीं है। इसके लिए इन अस्पतालों के लिए चिकित्सक, परिचारिका, पारा मेडिकल एवं अन्य तकनीकी कर्मियों की इन अस्पतालों में उपलब्धता भी आवश्यक है। इन कमियों को दूर करने तथा युवाओं को आगे पढ़ने के अवसर प्रदान करने के लिए **7 निश्चय की योजनाओं के अंतर्गत** 'मिशन मोड' में चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के अतिरिक्त सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना, सभी जिलों में जी॰एन॰एम॰ प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना, 33 जिलों में पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना, 5 जिलों में फार्मेसी कॉलेज की स्थापना तथा प्रत्येक अनुमंडल में ए॰एन॰एम॰ प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जा रही है।
- **पांच नये चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना-** कुल 5 जिलों (वैशाली, बेगूसराय, भोजपुर, मधुबनी एवं सीतामढ़ी) में चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना प्रस्तावित थी, जिसमें से 2 जिलों- मधुबनी एवं सीतामढ़ी में चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण कार्य अब केंद्र प्रायोजित योजना से कराया जा रहा है। शेष 3 जिलों में से वैशाली में चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण कार्य प्रारंभ है तथा बेगूसराय एवं भोजपुर (आरा) में चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण प्रारंभ करने हेतु कार्रवाई की जा रही है।

  राज्य में बड़े पैमाने पर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों की स्थापना की जा रही है। पूर्व में 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल थे। आज सरकारी प्रक्षेत्र में 11 मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल कार्यरत हैं। 3 नए मेडिकल कॉलेज क्रमशः पावापुरी में भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान, बेतिया में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल तथा मधेपुरा में जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल राज्य की निधि से बनाए गए हैं। 15 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।

  इनमें से 3 मेडिकल कॉलेज (वैशाली, बेगूसराय तथा भोजपुर) का निर्माण राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः अपनी निधि से कराया जा रहा है, जिसकी लागत लगभग 500 करोड़ रू0 है। राज्य सरकार द्वारा सुपौल में भी मेडिकल कॉलेज के निर्माण की स्वीकृति दी गई है।

  8 मेडिकल कॉलेज (छपरा, पूर्णिया, समस्तीपुर, बक्सर, जमुई, सीतामढ़ी, मधुबनी एवं सिवान) का निर्माण केन्द्र सरकार के आंशिक सहयोग से कराया जा रहा है। इनमें प्रति मेडिकल कॉलेज केन्द्र सरकार द्वारा लगभग 150 करोड़ रू0 की राशि दी जाती है, जबकि राज्य सरकार को भूमि सहित औसतन 350 करोड़ रू0 की राशि व्यय कर रही है।
- **सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में बी0एससी0 नर्सिंग कॉलेज की स्थापना-** कुल 16 चिकित्सा महाविद्यालयों में बी0एससी0 नर्सिंग कॉलेज का निर्माण चरणबद्ध तरीके से किया जाना है, जिसमें से पटना मेडिकल कॉलेज, पटना के पुनर्निर्माण के कारण योजना स्थगित कर दिया गया है। निर्माण हेतु लक्षित शेष 15 चिकित्सा महाविद्यालयों में से 6 में नर्सिंग कॉलेज का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 7 जिलों यथा- सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, मधेपुरा एवं भोजपुर के चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग कॉलेज का निर्माण कार्य प्रगति पर है। 2 जिलों (बेगूसराय एवं मधुबनी) में निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना शेष है।

  निर्मित हो चुके 6 जिलों में से 4 जिलों (भागलपुर, पावापुरी, दरभंगा एवं गया) के चिकित्सा महाविद्यालय में बी0एससी0 नर्सिंग कॉलेज का संचालन प्रारंभ कर दिया गया है। 2 जिलों- पूर्णियाँ एवं पश्चिम चंपारण के चिकित्सा महाविद्यालय में बी0एससी0 नर्सिंग कॉलेज का संचालन प्रारंभ किया जाना शेष है।
- **प्रत्येक जिला में जी0एन0एम0 (General Nursing and Midwifery) संस्थान की स्थापना -** कुल लक्ष्य 38 के विरुद्ध 15 जिलों में पूर्व से जी0एन0एम0 संस्थान निर्मित एवं संचालित हैं। निश्चय के तहत लक्षित 23 जिलों में से 16 जिलों में निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है तथा 5 जिलों (नवादा, भोजपुर, अररिया, औरंगाबाद एवं समस्तीपुर) में निर्माण कार्य प्रगति पर है। 2 जिलों (शिवहर एवं बेगूसराय) में निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना शेष है।

  निर्मित हो चुके 16 जिलों में से 3 जिलों- सीतामढ़ी, किशनगंज एवं नालंदा को छोड़कर शेष 13 जिलों में संस्थान का संचालन प्रारंभ कर दिया गया है।
- जिलों में पारा-मेडिकल संस्थान की स्थापना- कुल लक्ष्य 38 के विरुद्ध 5 जिलों में पारा-मेडिकल संस्थान पूर्व से निर्मित एवं संचालित है। शेष 33 जिलों में से 5 जिलों (नालंदा, सिवान, बांका, समस्तीपुर एवं रोहतास) में पारामेडिकल संस्थान के स्थान पर फार्मेसी कॉलेज की स्थापना का निर्णय लिया गया है । 7 निश्चय के तहत भवन निर्माण हेतु लक्षित कुल 28 जिलों में से 21 जिलों में निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 5 जिलों यथा- नवादा, अररिया, भोजपुर, सीतामढ़ी एव औरंगाबाद में निर्माण कार्य प्रगति पर है। 2 जिलों (शिवहर एवं बेगूसराय) में निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना शेष है।
- निर्मित हो चुके 21 जिलों में से 20 जिलों में पारा-मेडिकल संस्थान का संचालन प्रारंभ हो चुका है। मधेपुरा जिला में संस्थान का संचालन अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है।
- **5 जिलों में फार्मेसी कॉलेज की स्थापना-** 5 जिलों (नालंदा, सिवान, बांका, समस्तीपुर एवं रोहतास) में पारामेडिकल संस्थान के स्थान पर फार्मेसी कॉलेज की स्थापना का निर्णय लिया गया है। लक्षित 5 जिलों में से 4 जिलों में निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा संचालन प्रारंभ कर दिया गया है। समस्तीपुर जिला में निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- **प्रत्येक अनुमंडल में ए0एन0एम0 (General Nursing and Midwifery) संस्थान की स्थापना-** कुल लक्ष्य 101 के विरुद्ध 47 अनुमंडलों में पूर्व से ए0एन0एम0 संस्थान निर्मित एवं संचालित हैं। निश्चय के तहत निर्माण हेतु लक्षित 54 अनुमंडलों में से 50 अनुमंडलों में निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 2 अनुमंडलों- अररिया एवं डुमराँव में निर्माण कार्य प्रगति पर है। शेष 2 अनुमंडलों-पुपरी एवं तेघड़ा- में निर्माण प्रारंभ करने हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
- निर्मित हो चुके 50 अनुमंडलों में से 9 अनुंडलों (मंझौल, रक्सौल, पकड़ी दयाल, फुलपरास, पालीगंज, धमदाहा, वायसी, नवगछिया एवं मधेपुरा) को छोड़कर शेष 41 अनुमंडलों में ए0एन0एम0 संस्थान का संचालन प्रारंभ हो चुका है।
- सरकारी अस्पतालों के व्यवहार हेतु वर्ष 2011 में अधिसूचित 'आवश्यक दवाओं की सूची' को संशोधित करते हुए मार्च, 2018 में 'संशोधित आवश्यक दवाओं की सूची' को लागू किया गया है। बाह्य रोगी विभाग(ओ0पी0डी0)में 33 प्रकार की दवाएं और अंतः रोगी विभाग(आई0पी0डी0)में मात्र 112 प्रकार की दवाएं उपलब्ध कराई गयी।
- **राज्य सरकार द्वारा बालिकाओं के संरक्षण-** स्वास्थ्य-शिक्षा-स्वावलंबन पर आधारित **मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना वर्ष 2018** में लागू की गई। इस योजना का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, कन्याओं के जन्म, निबंधन एवं सम्पूर्ण टीकाकरण को प्रोत्साहित करना, लिंग अनुपात में वृद्धि लाना, बालिका शिशु मृत्यु दर को कम करना, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, बाल-विवाह पर अंकुश लगाना तथा कुल प्रजनन दर में कमी लाना है। यह योजना राज्य की सभी कन्याओं को जन्म से लेकर स्नातक होने तक के लिए है। राज्य में इस योजना का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। Pre-Conceptionand Pre-Natal Diagnostic Techniques (PCPNDT) Act के तहत कन्या भ्रूण की पहचान कर प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण को प्रतिबंधित करने के लिए जिलों में छापेमारी भी की जा रही है।

वर्ष 2020 से अबतक

- **लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें और पूरे स्वास्थ्य प्रक्षेत्र का विकास हो सके, इसलिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रयासों की कड़ी में वर्ष 2020 से ही सात निश्चय-2 के अंतर्गत स्वास्थ्य प्रक्षेत्र की कई योजनाएं जुड़ गईं हैं। सात निश्चय-2 के तहत स्वास्थ्य प्रक्षेत्र के लिए निम्न योजनाओं को लागू किया गया है-**
  - बिहार में चिकित्सा शिक्षा को सुदृढ़ करने हेतु एक **चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना** की गयी है तथा राज्य के सभी सरकारी/निजी चिकित्सा महाविद्यालयों एवं सभी स्वास्थ्य संस्थानों को बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना से संबद्ध कर दिया गया है। इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सभी मेडिकल कॉलेज में छात्राओं के लिए न्यूनतम एक तिहाई सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
  - गांव-गांव तक लोगों के लिये स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतर उपलब्धता के तहत स्वास्थ्य उपकेन्द्रों को नियमित एवं बेहतर रूप से संचालित कर स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की की जा रही है।
  - टेलीमेडिसीन के माध्यम से स्वास्थ्य उपकेन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अनुमण्डल अस्पताल एवं जिला अस्पताल से जोड़कर लोगों को चिकित्सीय परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

    राज्य के 1,358 चिकित्सा पदाधिकारियों को हब के रूप में चिह्नित कर टेलीमेडिसीन की सेवा स्वास्थ्य उपकेन्द्रों पर प्रदान की जा रही है। कुल 9,359 स्वास्थ्य उपकेन्द्र/हेल्थ एण्ड वेलनेश सेन्टर आँगनबाड़ी केन्द्रों को स्पोक्स के रूप में क्रियाशील किया गया है। टेलीमेडिसीन के माध्यम से अब तक कुल 1 करोड़ 03 लाख 60 हजार 893 मरीजों को परामर्श दिया गया है।
  - डायबिटीज, उच्च रक्तचाप तथा मोतियाबिंद आदि बीमारियों हेतु स्क्रीनिंग एवं गंभीर बीमारी के मामलों को रेफर किया जा रहा है। इसके साथ ही पैथोलॉजिकल जांच हेतु सैम्पल एकत्र कर उनकी जाँच की भी व्यवस्था की जा रही है।
  - प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अनुमण्डल अस्पताल एवं जिला अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं को और बेहतर एवं विस्तारित करने की कार्रवाई की जा रही है।

    243 विधान सभा क्षेत्रों में 1-1 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 5 स्वास्थ्य उपकेन्द्र एवं 136 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया जाना है। इसके तहत कुल 1558 योजनाओं में से 81 योजना का कार्य पूर्ण है तथा 900 में कार्य प्रगति पर है। शेष में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

    17 जिलों में 4 शैय्या तथा 1 जिला (गया) में 2 शैय्या वाले गहन चिकित्सा इकाई (ICU) / गंभीर चिकित्सा इकाई (ICU) स्थापित किया गया है। साथ ही 5 चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में मैग्रेटिक रेसोनेंस इमेजिंग (एम0आर0आई0) सुविधा उपलब्ध कराया गया है।

    सभी मेडिकल कॉलेज एवं जिला अस्पतालों में सी0टी0 स्कैन जांच एवं किडनी के मरीजों के लिए डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। सभी 38 जिलों में ई0सी0जी0 की सुविधा दी गई है। अस्पतालों में डिजिटल एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड,रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी की भी सुविधा दी गई है। साथ ही इमरजेंसी एवं शल्य चिकित्सा की सुविधा भी चैबीसों घंटे उपलब्ध कराई जा रही है।
- 7 निश्चय-2 के तहत हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के निःशुल्क उपचार हेतु **वर्ष 2021 में 'बाल हृदय योजना'** लागू की गयी है। इस योजना के तहत निःशुल्क उपचार के साथ-साथ राज्य के बाहर स्थित चिह्नित चैरिटेबल ट्रस्ट अस्पताल/निजी अस्पताल में चिकित्सा हेतु बच्चों एवं अभिभावकों के आने-जाने एवं रहने हेतु दस हजार रुपये प्रति व्यक्ति की दर से सहायता राशि देने की व्यवस्था है।

  इस योजना के तहत हृदय में छेद के साथ जन्मे 830 बच्चों का ईलाज प्रशान्ति फाउंडेशन के सहयोग से गुजरात के अहमदाबाद में अवस्थित सत्यसाईं अस्पताल में कराया गया है। इसके अलावा इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना में 28 बच्चों तथा इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान में 217 बच्चों का इलाज कराया गया है। इस प्रकार बाल हृदय योजना के तहत अब तक कुल 1,075 बच्चों का इलाज कराया गया है।
- 7 निश्चय-2 के तहत **राज्य में कोरोना से बचाव हेतु निःशुल्क टीकाकरण** किया जा रहा है। राज्य में अबतक प्रथम डोज- 7.34 करोड़, द्वितीय डोज- 6.79 करोड तथा प्रिकॉशन डोज- 1.58 करोड़ दिया जा चुका है।

  बिहार अकेला राज्य है जहां कोरोना से पीड़ित मृतकों के आश्रितों को शुरु से ही 4 लाख रू0 अनुदान दिया जा रहा है। केन्द्र सरकार के निर्णय के उपरान्त 50 हजार रुपये की अतिरिक्त मदद भी दी जा रही है। अब तक कुल 15,352 मृतकों के आश्रितों को 690.84 करोड़ रू0 का भुगतान हो चुका है।
- बिहार मानसिक स्वास्थ्य एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान, कोईलवर के भवन एवं परिसर का उद्घाटन वर्ष 2022 में किया गया है। 128.86 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस अस्पताल में 272 बेड की क्षमता है।
- राज्य के नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा सुगमतापूर्वक सुलभ कराने के दृष्टिकोण से जिला अस्पताल से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक (सभी स्तरों के अस्पतालों में) चिकित्सक से परामर्श हेतु पूर्व से समय लेने की सुविधा के लिए ऑनलाइन निबंधन प्रणाली की व्यवस्था करने के उद्देश्य के साथ **मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना** वर्ष 2022 में शुरु की गई है। नालंदा एवं मुजफ्फरपुर जिले में इसकी शुरुआत कर दी गई है। इस सुविधा का इस्तेमाल कर मरीज किसी भी स्थान से अपनी सुविधानुसार चिकित्सक से परामर्श हेतु स्वयं समय प्राप्त कर सकेंगे। ऑनलाइन निबंधन प्रणाली के तहत कोई निबंधन शुल्क नहीं लिया जाता है।
- पूर्व से अधिसूचित आवश्यक दवाओं की सूची (Essential Drug List) को संशोधित करते हुए जनवरी, 2023 में कई गंभीर बीमारियों की औषधियों का समावेशन करते हुए चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल एवं जिला अस्तपाल से लेकर स्वास्थ्य उपकेन्द्र स्तर तक अलग-अलग संशोधित आवश्यक औषधियों की सूची को लागू किया गया इस सूची में 611 प्रकार की औषधियां एवं 132 प्रकार के मेडिकल डिवाइसेज/कन्ज्यूमेबल्स अधिसूचित हैं। वर्तमान में 408 प्रकार की औषधियां एवं 110 मेडिकल डिवाइसेज/कन्ज्यूमेबल्स का दर अनुबंध बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना विकास निगम (BMSICL)/ द्वारा किया गया है, जिसकी आपूर्ति जिलों में की जा रही है।
- चिकित्सा सेवा में पारदर्शिता लाने एवं इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकार्ड संग्रहित रखने हेतु बिहार हेल्थ एप्लिकेशन विजनरी योजना फॉर आल (BHAVYA) पोर्टल को क्रियाशील किया गया है।
- पटना में लोक निजी भागीदारी के तहत 300 बेड का जय प्रभा मेदान्ता सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल की स्थापना की गयी है, जिसमें 25 प्रतिशत बेड गरीब एवं जरूरतमंद रोगियों तथा बिहार सरकार के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए उपलब्ध हैं।
- स्पेशिएलिटी अस्पतालों एवं चिकित्सा सुविधाओं के लिए निजी क्षेत्रों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए 'बिहार स्वास्थ्य सेवा निवेश नीति' के गठन की दिशा में भी राज्य सरकार द्वारा कार्य किया गया।
- रहुई, नालन्दा में 100 बेड का राजकीय दन्त चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का निर्माण कराया गया है, जिसमें दांतों के ईलाज के अतिरिक्त अन्य बीमारियों के ईलाज हेतु ओ0पी0डी0, इमरजेंसी वार्ड, गहन चिकित्सा इकाई (ICU), रेडियोलॉजी एवं पैथोलॉजी जांच आदि की सुविधा होगी।
- पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (पी0एम0सी0एच0) को 5462 बेड की क्षमता वाले आधुनिक विश्वस्तरीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के रूप में बनाया जा रहा है। इसके साथ ही इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान को 2500 बेड के अस्पताल के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहां पर 120 करोड़ रू0 की लागत से स्टेट कैंसर इन्स्टीट्यूट स्थापित किया गया है। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना में आई बैंक एवं आधुनिक किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट की सुविधा भी उपलब्ध करायी गयी है।
- इसके अतिरिक्त नालंदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (NMCH) पटना, श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (SKMCH), मुज़फ्फरपुर तथा अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज (ANMCH), गया को भी 2500 बेड के मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में विकसित किया जा रहा है।
- मुंगेर, पूर्वी चम्पारण, सहरसा एवं गोपालगंज में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के निर्माण हेतु स्वीकृति दी गयी है। दरभंगा जिला अन्तर्गत दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में 2100 बेड के नये अस्पताल, नये महाविद्यालय भवन एवं आवासीय परिसर के निर्माण हेतु भी स्वीकृति दी गयी है।
- श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल मुजफ्फरपुर के परिसर में टाटा मेमोरियल अस्पताल, मुम्बई के सहयोग से भाभा कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेन्टर स्थापित किया गया है, जिससे उत्तर बिहार के लोगों को भी कैंसर की आधुनिकतम चिकित्सा सुविधा स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेगी।
- चिकित्सकों एवं अन्य कर्मियों की नियुक्ति की दिशा में भी सरकार काम कर रही है। अब तक 67 हजार से अधिक चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मियों की नियुक्ति की गई है, जिसमें 17 हजार से अधिक तो डॉक्टर्स ही हैं। इसके अतिरिक्त निकट भविष्य में 62,224 पदों पर नियोजन/नियुक्ति की योजना है, जिसमें 10,673 चिकित्सक के पद शामिल हैं। साथ ही 28,100 आशा वर्क/फॅसिलिटेटर के नियोजन की कार्य योजना तैयार की जा रही है एवं लोक स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्ग का गठन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 50,000 रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

बाल विवाह एवं दहेज से संबंधित सूचना टॉल फ्री नं. 181 पर दें।

बेटा-बेटी एक समान। दहेज-प्रथा करे सबका अपमान ।।

भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत 0612-2217048 पर करें।

Nov. 2024

Design & Printed by Shiva Enterprises, Patna # 9308286684

बिहार सरकार

स्वास्थ्य प्रक्षेत्र

द्वारा विकास की एक झलक...

स्वास्थ्य विभाग
तथा
सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग
बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

बिहार की जनता ने जिस विश्वास और भरोसे के साथ **माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी** को राज्य की जिम्मेवारी सौंपी, उसे पूरी निष्ठा के साथ निभाने का प्रयास किया गया है। **'न्याय के साथ विकास'** के सिद्धांत पर चलते हुए समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए काम किया गया। वर्ष 2005 में राज्य में सरकार गठन के बाद यह साफ-तौर पर महसूस किया गया कि राज्यवासियों के जीवन में गुणात्मक सुधार के लिए स्वास्थ्य प्रक्षेत्र को प्राथमिकता देनी होगी। स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में व्यापक सुधार का लक्ष्य चुनौतीपूर्ण रहा, जिसके लिए राज्य सरकार हमेशा प्रयासरत रही।

जनता की सेवा के प्रण के साथ राज्य सरकार ने स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कई प्रयास किए। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं को अंतिम पायदान तक पहुंचाने एवं उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं में अपेक्षित सुधार हेतु कई कदम उठाए हैं। राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सातों दिन चैबीसों घंटे क्रियाशील किया। मरीजों के इलाज के लिए सबसे पहले चिकित्सकों की उपस्थिति एक चुनौती थी, इस स्थिति में बदलाव लाने का प्रयास किया। चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु **लैंडलाइन टेलीफोन** की सुविधा दी गई एवं मुख्यालय स्तर से लगातार उनकी उपस्थिति का अनुश्रवण किया गया। पहले सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को 6 बेड ही होते थे। इन केंद्रों में बेडों की संख्या 6 से बढ़ाकर 30 बेड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में उत्क्रमित किया गया। राज्य में 261 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया गया है तथा 173 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण कराया जा रहा है। वर्तमान में कुल 10052 हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर कार्यरत हैं, जिनमें 9359 स्वास्थ्य उपकेन्द्र, 1246 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 106 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं। राज्य में कुल 50 ब्लड बैंक तथा कुल 77 ब्लड स्टोरेज यूनिट की स्थापना हो चुकी है।

इन सभी पहल के परिणाम के रूप में राज्यवासियों का सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में विश्वास बढ़ा। राज्य के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में वर्ष 2006 में प्रतिमाह जहां मात्र 39 मरीज औसतन आते थे, वहीं वर्तमान आंकड़ों के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तक प्रति स्वास्थ्य संस्थान प्रतिमाह 11,615 औसतन मरीजों का इलाज बाह्य कक्ष में किया जा रहा है।

शिशु मृत्यु का एक महत्वपूर्ण कारण कुपोषण भी है। कुपोषण के कारण बिहार के बच्चों में बौनापन (स्टंटिंग) के लक्षण भी देखने को मिला। बच्चों में कुपोषण को दूर करने के लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम करना शुरु किया है। आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ता एवं ए0एन0एम0 द्वारा गंभीर रुप से कुपोषित बच्चों की पहचान कर पोषण पुनर्वास केन्द्र (Nutrition Rehabilitation Center-NRC) में भर्ती करते हुए बाल रोग विशेषज्ञ एवं पोषण विशेषज्ञों की देखरेख में इलाज की सुविधा दी जा रही है। राज्य सरकार द्वारा किए गए अनवरत प्रयासों के परिणाम के तौर पर बिहार में स्वास्थ्य सूचकांकों में निरंतर सकारात्मक परिवर्तन आए हैं। वर्ष 2005 में शिशु मृत्यु दर जहां 61 था वहीं अब यह 27 हो गया है (वर्तमान में राष्ट्रीय औसत 28 है)। वर्ष 2008 में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में मृत्यु दर पूर्व में 75 था, जो अब वर्तमान में 32 हो गया है (वर्तमान में राष्ट्रीय औसत 30 है)। उस दौरान नवजात शिशु मृत्यु दर 32 था अब वह वर्तमान में 21 हो गया है (वर्तमान में राष्ट्रीय औसत 20 है)।

मातृ मृत्यु अनुपात को और कम करने के उद्देश्य से प्रसव पूर्व जांच, प्रसूति महिलाओं का आवश्यकतानुसार सिजेरियन सेक्शन, ब्लड बैंक और ब्लड स्टोरेज इकाई की स्थापना की दिशा में काम करना शुरु किया गया। फलतः 4 प्रसव पूर्व जांच (ANC) की सुविधा, गर्भवती महिलाओं को सिजेरियन प्रसव की सेवा एवं सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में संस्थागत प्रसव में वृद्धि हो रही है, जो स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में निरंतर प्रगति का द्योतक है। इसके कारण बिहार में मातृ मृत्यु दर में काफी सुधार आया है। वर्ष 2004-06 में यह 312 था जो अब सुधरकर 118 हो गया है (वर्तमान में राष्ट्रीय औसत 97 है)। साथ ही प्रजनन दर के सूचकांक में भी सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। वर्ष 2005 में बिहार में कुल प्रजनन दर (टी0एफ0आर0) 4 था, अब 2.9 हो गया है (वर्तमान में राष्ट्रीय औसत 2 है)।

इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा विगत 18 वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र में काफी काम किये गये हैं, जिसका बेहद सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

वर्ष 2005 से 2010

- वर्ष 2006 में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का सुदृढ़ीकरण प्रारंभ किया गया। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के आधारभूत संरचनाओं के निर्माण एवं स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु 300 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करायी गयी।

  प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्तर तक सभी अस्पतालों को सातों दिन चैबीसों घंटे क्रियाशील किया गया। मरीजों के इलाज के लिए सबसे पहले चिकित्सकों की उपस्थिति एक चुनौती थी, इस स्थिति में बदलाव लाने का प्रयास किया। चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु **लैंडलाइन टेलीफोन** की सुविधा दी गई एवं मुख्यालय स्तर से लगातार उनकी उपस्थिति का अनुश्रवण किया गया।
- राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों तक गुणवत्तायुक्त चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा। राज्य के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, अनुमंडलीय अस्पतालों, सदर अस्पतालों का उत्क्रमण एवं जीर्णोद्धार, 11 नये जिलों में सदर अस्पताल भवनों का निर्माण, 20 नये अनुमंडलों में अनुमंडलीय अस्पताल का निर्माण, 62 नये प्रखंडों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवनों का निर्माण, 751 नये स्वास्थ्य उपकेन्द्रों का निर्माण प्रारंभ किया गया।
- अस्पतालों में चिकित्सकों एवं चिकित्सकीय उपकरणों की व्यवस्था की गयी।
- राज्य सरकार की यह सोच थी कि स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत मरीजों को सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में दवा हमेशा मिलनी चाहिए। वर्ष 2006 में पटना के न्यू गार्डिनर अस्पताल में तत्कालीन माननीय उपराष्ट्रपति श्री भैरो सिंह शेखावत जी के हाथों मरीजों को **मुफ्त दवाइयां** देने की शुरुआत करायी गयी।
- राज्य के नागरिकों को जिला के अस्पतालों में ओ0पी0डी0 की 21 दवाएँ, अन्तर्वासी (इनडोर) रोगियों के लिए 108 दवाएँ, चिकित्सा महाविद्यालय में इनडोर रोगियों के लिए 75 दवाएँ एवं इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान के अन्तर्वासी रोगियों के लिए 81 दवाएँ निःशुल्क उपलब्ध करायी गयी। इसमें महंगी दवाएँ यथाः एन्टी रेबीज वैक्सीन, एन्टी स्नेक वैनम को भी शामिल किया गया। वर्ष 2007 में अस्पतालों में आउटडोर मरीजों को दी जाने वाली निःशुल्क दवाओं की संख्या को बढ़कार 61 और इनडोर मरीजों को दी जाने वाली निःशुल्क दवाओं की संख्या को बढ़ाकर 145 की गयी।
- ग्रामीण क्षेत्रों के पीड़ितों को उनके घर तक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चलंत अस्पताल की व्यवस्था की गयी।
- एक लाख तक वार्षिक आय वाले गंभीर रोगों से पीड़ितों की सहायता हेतु **''मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष''** का गठन किया गया।

  वर्तमान में मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के माध्यम से भी 2.5 लाख रु0 तक के वार्षिक आय वर्ग के लोगों को समुचित चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। गंभीर रोग जैसे- कैंसर, हृदय रोग, एड्स, मस्तिष्क रोग, नेत्र रोग, स्पाईनल सर्जरी, किडनी रोग आदि के लिए अधिकतम 5 लाख रु0 तक की सहायता देने की व्यवस्था है। स्वतंत्रता सेनानियों एवं जे0पी0 सेनानियों को मुफ्त चिकित्सा योजना को भी सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई। इसे मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से जोड़ा गया है।
- जननी सुरक्षा के साथ-साथ बाल सुरक्षा योजना जोड़कर राज्य सरकार द्वारा 1 जुलाई 2006 से पूरे राज्य में **'जननी एवं बाल सुरक्षा'** योजना लागू की गयी, जिसका उद्देश्य संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना था। इस योजना को बच्चों के पूर्ण टीकाकरण से भी जोड़ दिया गया। सरकारी अस्पताल में प्रसव होने पर तथा बच्चे का टीकाकरण पूर्ण होने पर नगद राशि देने का प्रावधान किया गया। सरकार द्वारा संस्थागत प्रसव के लिए महिलाओं एवं लोगों को जागरुक करने का प्रयास किया गया है, जिसके तहत सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव होने पर प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
- सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तक निजी क्षेत्र की भागीदारी से अस्पतालों में एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध करायी गयी।
- राज्य में कही से भी 102 डायल करने पर एम्बुलेंस उपलब्ध कराने की सुविधा शुरु की गयी। राज्य के छः कन्ट्रोल रुम पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, छपरा एवं पूर्णियां के माध्यम से राज्य के सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर यह सेवा उपलब्ध करायी गयी।
- राज्य में निजी क्षेत्रों में कई मेडिकल कॉलेज खोलने का मार्ग प्रशस्त किया गया।
- गरीबी रेखा से नीचे वाले लागों को गंभीर बीमारी की ईलाज हेतु 15 हजार रुपये से 1.5 लाख रुपये तक अनुदान देने की व्यवस्था की गयी।
- सरकारी अस्पतालों की स्थिति में सुधार की गयी जिसके कारण आमलोगों की आस्था में वृद्धि हुई तथा एक वर्ष में ही सरकारी अस्पतालों में ईलाज के लिए आने वाले मरीजों की संख्या 10 गुनी बढ़ गयी।
- शत-प्रतिशत टीकाकरण और संस्थागत प्रसव के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विशेष योजना **''मुस्कान-एक अभियान''** प्रारंभ की गयी।
- नवजात शिशुओं, प्रसूति माताओं के स्वास्थ्य संरक्षण और स्तनपन प्रोत्साहन हेतु **''ममता''** कार्यक्रम लागू की गयी। रविदास समुदाय की महिलाओं को ममता कार्यकर्ता के रुप में चयन की व्यवस्था लागू की गयी।
- स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए राज्य के सभी अस्पतालों में सप्ताह के प्रत्येक दिन अन्तःकक्ष के लिए अलग-अलग रंग की हैण्डलूम/खादी चादरों के इस्तेमाल की व्यवस्था प्रारंभी की गयी।
- जन शिकायत निवारण हेतु सामाधान योजना का शुभारंभ किया गया। इसमें कॉल सेन्टर के माध्यम से लोगों की शिकायतों के निवारण की व्यवस्था की गयी।
- स्वास्थ्य प्रक्षेत्र की आधारभूत संरचनाओं के सुदृढ़ीकरण के तहत 1544 नये स्वास्थ्य उपकेन्द्रों का निर्माण, कुल 662 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण, 263 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को 2 वर्षों में 30 शैय्या वाले अस्पतालों में परिवर्तन, सभी अनुमंडल अस्पतालों को 2 वर्षों में 100 शैय्या वाले अस्पतालों में परिवर्द्धन, जिला अस्पतालों को 2 वर्षों में 300 एवं 500 शैय्या वाले अस्पतालों में परिवर्द्धन तथा प्रत्येक सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में कम से कम 2 सुपर स्पेशिएलिटी इकाई (नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी आदि की सुविधा) के गठन की कार्रवाई प्रारंभ की गयी।
- 18 जून 2008 से 21 जून 2008 तक विटामिन 'ए' अभियान पूरे राज्य में चलाया गया। इसके तहत 9 माह से 5 वर्ष के लगभग 1.30 करोड़ शिशुओं को विटामिन 'ए' की खुराक निःशुल्क दी गयी।
- सरकारी डॉक्टरों और पारामेडिकल कर्मियों को अस्पताल प्रबंधन से मुक्त करने हेतु लोक निजी साझेदारी अन्तर्गत आउटसोर्सिंग की व्यवस्था की गयी ताकि सरकारी डॉक्टर और कर्मी मरीजों को विशेष सेवा देने पर अपना ध्यान केन्द्रित कर सकें।
- लोक निजी साझेदारी अन्तर्गत अस्पतालों में पैथोलॉजी केन्द्र, रेडियोलॉजी केन्द्र, अस्पताल रख-रखाव सेवाएँ, जेनरेटर और लॉण्ड्री की सुविधा, रोगियों के लिए पथ्य की व्यवस्था, ब्लड स्टोरेज केन्द्र इत्यादि का संचालन प्रारंभ किया गया।
- पायलट प्रोजेक्ट के तहत 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा का पटना जिला में प्रारंभ किया गया। इस सेवा के अन्तर्गत 5 अत्याधुनिक **अग्रिम जीवन समर्थन (Advance Life Support)** से लैस वातानुकूलित एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ की गयी। 5 **बुनियादी जीवन समर्थन (Basic Life Support)** से लैस वातानुकूलित एम्बुलेंस सेवा भी प्रारंभ की गयी।
- लोक निजी भागीदारी के तहत राज्य के सभी 76 फस्र्ट रेफरल यूनिट में ब्लड स्टोरेज केन्द्र की स्थापना का निर्णय लिया गया।
- सरकार के स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सहयोग हेतु 3 जिलों- नालन्दा, पटना एवं समस्तीपुर में शहरी स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की गयी। इसके तहत मुफ्त ओ0पी0डी0 की सुविधा उपलब्ध करायी गयी।
- राज्य के सभी जिलों में इ0सी0जी0 की सुविधा प्रारंभ की गयी।
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कार्यक्रमों में सुधार लाने एवं गुणवत्ता में वृद्धि करने हेतु लोक निजी साझेदारी के तहत राज्य में रिजनल डायग्रोस्टिक सेन्टर एवं सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में अल्ट्रा मार्डन डायग्रोस्टिक सेन्टर की स्थापना की गयी।
- 15 जुलाई 2009 को आरोग्य रथ के नाम से मोबाइल मेडिकल यूनिट का शुभारंभ किया गया। प्रारंभ में राज्य के सभी जिलों में एक-एक मोबाइल यूनिट प्रारंभ किया गया।
- राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक के सभी सरकारी अस्पतालों में पैथोलॉजी एवं रेडियोलॉजी की सेवा निःशुल्क उपलब्ध करायी गयी।
- डायल 1911 से चिकित्सकीय परामर्श और रोगी शिकायत निवारण व्यवस्था का प्रारंभ किया गया।
- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया। इसके तहत सरकारी अस्पताल, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना और स्थानिक आयुक्त, दिल्ली से मरीज द्वारा सीधे सम्पर्क कर सहायता प्राप्त करने की व्यवस्था की गयी।
- जनसंख्या नियंत्रण हेतु माननीय मुख्यमंत्री, बिहार की अध्यक्षता में **बिहार राज्य जनसंख्या पर्षद** का गठन किया गया।
- स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में गुणात्मक सुधार लाने के लिए स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा, बिल एण्ड मिलिण्डा गेट्स फाउण्डेशन के बीच करार हस्ताक्षरित किया गया।
- वर्ष 2010 में **बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना विकास निगम (BMSICL)** की स्थापना की गयी।

वर्ष 2010 से 2015

- वर्ष 2011 को सुरक्षित मातृत्व वर्ष के रुप में घोषित किया गया।
- कुपोषण की गम्भीर समस्या को दूर करने तथा बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए, विशेष कार्यक्रम मिशन के रुप में चलाने हेतु आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ मिलकर, उप-स्वास्थ्य केंद्रों के अतिरिक्त गांव स्तर पर सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में अप्रैल 2011 से मुस्कान कार्यक्रम के अंतर्गत, **मासिक स्वास्थ्य एवं कुपोषण दिवस** क्रियान्वित किया गया। प्रत्येक जिले में कुपोषित बच्चों के लिए **पोषण पुनर्वास केंद्र की स्थापना** एवं संचालन का निर्णय लिया गया।
- वर्ष 2011 में स्कूली बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम बनाकर उनके स्वास्थ्य की जांच, बच्चावार स्वास्थ्य कार्ड का संधारण, विटामिन ए0, कृमिनाशक की दवा जैसी सुविधायें उन्हें तीन महीने में एक बार निश्चित रुप से उपलब्ध कराने का कार्य **नई पीढ़ी स्वास्थ्य गारंटी कार्यक्रम** अंतर्गत प्रारंभ किया गया।
- पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम और सघन रुप से लागू किया गया।
- इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना में एम0बी0बी0एस0 की पढ़ाई के लिए 100 सीटों का चिकित्सा महाविद्यालय खोला गया, नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना में एम0बी0बी0एस0 में नामांकन की संख्या 50 से बढ़कार 100 की गई।
- पहली बार बी0एस0सी0 नर्सिंग की पढ़ाई के लिए 2 नर्सिंग कॉलेज यथा- इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना तथा कुर्जी होली फैमिली अस्पताल में स्थापित किया गया। **देश का पहला नर्सिंग स्किल लैब (परिचारिका हुनर विकास प्रयोगशाला)** गुरु गोविन्द सिंह अस्पताल पटना में स्थापित किया गया।
- राज्य के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को 30 शैय्या वाले स्वास्थ्य केंद्रों में उत्क्रमित किए जाने और **बिहार मेडिकल आधारभूत संरचना निगम** को क्रियाशील कर भवन निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की गयी।
- जनसंख्या स्थिरीकरण के कार्यक्रम को सुदृढ़ करने के लिए जन-निजी भागीदारी के तहत् कार्ययोजना का क्रियान्वयन प्रारंभ किया गया।
- प्रसवोपरांत परिवार कल्याण रणनीति का शुभारंभ किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य प्रसव के उपरांत लक्षित दम्पत्तियों को परिवार नियोजन हेतु उत्प्रेरित कर साधन उपलब्ध कराना था।
- 2010-11 में परिवार नियोजन को प्राथमिकता दी गयी तथा 2010-11 में 5.16 लाख बन्ध्याकरण/ नसबंदी ऑपरेशन किये गये।
- राज्य सरकार द्वारा नवजात शिशुओं की विशिष्ट चिकित्सा के लिए विशेष नवजात देखभाल इकाई (Special Newborn Care Unit-SNCU) की स्थापना वर्ष 2011 में की गई। बिहार में शिशु मृत्यु दर को कम करने के प्रयास के तहत विशेष नवजात देखभाल इकाई (Special Newborn Care Unit-SNCU) एवं नवजात शिशु स्थिरीकरण इकाई (Newborn Stabilization Unit -NBSU) वर्ष 2011 से कार्यरत किए गए। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा नवजात शिशुओं की स्वास्थ्य की देखभाल हेतु चिकित्सा महाविद्यालयों में NICU जिला अस्पतालों में SNCU तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में NBCC स्थापित किया गया।

  वर्तमान में राज्य में 45 SNCU एवं 41 NBSU कार्यरत हैं। विशेष नवजात देखभाल इकाई (SNCU) को अनुमंडल स्तर तक ले जाने का प्रयास है, जिसके तहत 17 अनुमंडलीय अस्पतालों में SNCU की स्थापना का लक्ष्य है।
- स्वास्थ्य विभाग की शिकायत निवारण प्रणाली 1911 (चिकित्सीय परामर्श सेवा) को उत्क्रमित कर वेबसाइट और एस0एम0एस0 के माध्यमों से भी स्वास्थ्य विभाग से संबंधित सूचनाओं एवं चिकित्सीय परामर्श प्राप्त करने तथा शिकायत दर्ज कराने की सुविधा प्रारंभ की गयी।
- परिवार कल्याण हेतु आशा द्वारा गर्भ निरोधक साधनों का सामाजिक विपणन योजना के अन्तर्गत गर्भ निरोधक सामग्रियों को लाभार्थियों के घर पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी यह योजना पटना एवं मुंगेर जिला में निःशुल्क तथा अन्य 36 जिलों में सामाजिक विपणन के माध्यम से क्रियान्वित की गयी।
- प्रमण्डलों में महादलित समुदाय के लिए पटना, भागलपुर, तिरहुत, पूर्णिया, सारण, कोशी, दरभंगा, मगध एवं मुंगेर तथा पटना शहरी क्षेत्र के मलिन बस्तियों के लिए कुल 10 (प्रति प्रमंडल 1 एवं पटना शहरी क्षेत्र के लिए 1) "धनवन्तरी रथ सेवा" का शुभारम्भ किया गया।
- डायल 102 के तहत केन्द्रीयकृत 'कॉल सेन्टर' के द्वारा 504 **"जय प्रभा जननी शिशु आरोग्य एक्सप्रेस"** का शुभारम्भ 01 मई 2012 से राज्य के सभी जिलों में किया गया। इस सेवा के अन्तर्गत सभी गर्भवती माताओं, जन्म के पश्चात् 30 दिनों तक के नवजात शिशुओं, सड़क दुर्घटना के मरीजों, गरीबी रेखा के नीचे के सभी मरीजों, वरिष्ठ नागरिकों तथा कालाजार मरीजों को आपातकालीन चिकित्सा सेवा निःशुल्क उपलब्ध कराया गया।

  वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी मरीजों के लिए 102 एम्बुलेंस सेवा घर से सरकारी अस्पताल ले जाने हेतु निःशुल्क कर दी गई है। साथ ही गर्भवती माताओं एवं एक वर्ष तक के शिशुओं को इलाज के पश्चात सरकारी अस्पताल से घर पहुंचाने हेतु भी 102 एम्बुलेंस सेवा निःशुल्क उपलब्ध है। एम्बुलेंस सेवा के तहत वर्तमान में कुल 576 एडवांस लाइफ सपोर्ट (ALS) एम्बुलेंस हैं और 1006 बेसिक लाइफ सपोर्ट (BLS) एम्बुलेंस का परिचालन किया जा रहा है। वर्ष 2023 में अब तक कुल 6,65,337 मरीजों को एम्बुलेंस की सुविधा दी गई।
- **"आदर्श दम्पत्ति योजना"** के नाम से एक अनूठी योजना 16 मई 2012 से प्रारंभ की गयी। इस योजना अंतर्गत आशा कार्यकर्ता को नवविवाहित दम्पत्तियों को उत्प्रेरित कर शादी के दो वर्ष पश्चात् पहले बच्चे का जन्म सुनिश्चित करवाने पर 500 रुपये, एक संतान वाले दम्पत्तियों को उत्प्रेरित कर पहले बच्चे एवं दूसरे बच्चे के जन्म में तीन वर्षों का अंतराल सुनिश्चित कराने पर 500 रुपये तथा दो बच्चों वाले दम्पत्तियों को उत्प्रेरित कर परिवार नियोजन का स्थायी विधि सुनिश्चित करवाने पर 1,000 रुपये देने का प्रावधान किया गया।
- मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा **जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम** अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क प्रसव ¼Including Cesarian Section½, निःशुल्क दवाएँ, निःशुल्क जाँच (रक्त, पेशाब एवं अल्ट्रा साउण्ड) अस्पताल में भर्ती होने के दौरान निःशुल्क पथ्य, आवश्यकता पड़ने पर निःशुल्क रक्त की सुविधा, इलाज हेतु घर से सरकारी अस्पताल ले जाने एवं वापसी की सुविधा तथा 30 दिनों तक के बीमार नवजात शिशुओं के इलाज के लिए घर से सरकारी अस्पताल ले जाने एवं वापसी हेतु परिवहन की व्यवस्था की गयी।
- वर्ष 2012 "टीकाकरण वर्ष" के रुप में घोषित किया गया।

  टीकाकरण जानलेवा संक्रामक बीमारियों के नियंत्रण और उन्मूलन करने के लिए एक उपयुक्त एवं सबसे किफायती तरीका है। अब नियमित टीकाकरण का कार्य सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों, आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं अन्य चिह्नित स्थलों पर सूक्ष्म कार्ययोजना बनाकर निःशुल्क किया जाता है। बिहार में नियमित टीकाकरण के माध्यम से प्रति वर्ष लगभग 30 लाख बच्चों को जानलेवा बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करने हेतु टीकाकरण किया जाता है। साथ ही प्रति वर्ष लगभग 32 लाख गर्भवती महिलाओं को टिटेनस एवं गलघोंटू से सुरक्षा प्रदान करने हेतु टिटेनस एंड डिफथेरिया (TD) का टीकाकरण किया जाता है।
- स्वस्थ बिहार मुहिम की अनुवर्ती कड़ी में 'नई पीढ़ी स्वास्थ्य गारंटी कार्यक्रम प्रारंभ की गयी। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य रुप से 0 से 14 वर्ष आयु समूह के सभी बच्चों की स्वास्थ्य जाँच की व्यवस्था एवं जाँचोपरांत सभी को स्वास्थ्य कार्ड मुहैया कराने का प्रावधान किया गया। साथ ही आवश्यकतानुसार उच्च केन्द्रों में इलाज हेतु रेफर का भी प्रावधान किया गया।
- बिहार स्वास्थ्य सेवा एवं आयुष चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष की गयी।
- आयुष विधा के अंतर्गत 65 दवाएँ प्रथम बार दर अनुबंध कर सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध कराया गया।
- वर्ष 2013 में वर्द्धमान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी एवं राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल, बेतिया में 100-100 विद्यार्थियों के लिए एम0बी0बी0एस0 की पढ़ाई प्रारंभ की गयी।
- वर्ष 2013 में एम0बी0बी0एस0 की पढ़ाई के लिए पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना में 50, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना में 50, श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर में 50, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, गया में 50 एवं जवाहर लाल नेहरु चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, भागलपुर में 50 एवं दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, लहेरियासराय में नामांकन हेतु 10 सीटों की वृद्धि की गयी।
- वर्ष 2013 में राज्य में 11 ए0एन0एम0 स्कूल तथा 10 जी0एन0एम0 स्कूल स्थापित करने का निर्णय लिया गया।
- Acute Encephalitis/Japanese Encephalitis Syndrome ds fy, Standard Operating Proceduresका निर्धारण किया गया ताकि इन रोगों से ग्रसित शिशुओं को त्वरित गति से उपचार उपलब्ध कराकर उनकी जान बचाई जा सके।
- आपदा प्रबंधन विभाग तथा राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा आपदा न्यूनीकरण हेतु राज्य के सभी 38 जिलों तथा 06 चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में 44 एडवांस लाईफ सपोर्ट एम्बुलेंसों एवं 50 शव वाहनों का परिचालन दिनांक 02 अक्टूबर 2013 से केन्द्रीकृत कॉल सेन्टर के माध्यम से टॉल फ्री संख्या '1099' के अंतर्गत संचालित किया गया।
- राज्य में विभिन्न प्रकार के वैक्सीन (टीकाओं) को राज्य से जिला स्तर तक सुरक्षित शीत श्रृंखला के माध्यम से परिवहन हेतु प्रथम चरण में 19 शीतरोधी (insulated) वैक्सीन वैन संचालित किये गये।
- स्वास्थ्य विभाग बिहार को ई.ए.जी. के उत्कृष्ट कार्यों के लिए राज्यों के समूह में पाँच पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। प्राप्त पुरस्कारों में पांच साल से कम उम्र के शिशु मृत्यु दर में कमी लानेवाले के लिए पहला स्थान, शिशु मृत्यु दर में कमी लाने हेतु पहला स्थान, संस्थागत प्रसव एवं तीन प्रसवपूर्व जांच में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि के लिए पहला स्थान, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों (चिकित्सा महाविद्यालयों के अतिरिक्त) में भर्ती रोगियों के देख-भाल में सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए पहला स्थान तथा जिला सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों (चिकित्सा महाविद्यालयों के अतिरिक्त) के बाह्य चिकित्सा में प्रत्येक 1000 की जनसंख्या पर हुई प्रतिशत वृद्धि के लिये दूसरा स्थान रहा।
- मोबाईल स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत 'एम-बिलिन्थ पुरस्कार' और वोडाफोन 'मोबाईल फार गुड 2013 पुरस्कार' से नई दिल्ली में 18 जुलाई 2013 को सम्मानित हुआ।
- स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति की नई पहल हेतु आयुष विभाग भारत सरकार से राष्ट्रीय स्तर पर ई-इंडिया द्वारा सम्मानित हुआ।
- वैशाली जिला अस्पताल, हाजीपुर में कार्यरत सुनीता कुमारी के उत्कृष्ट योगदान को ध्यान में रखते हुए दिनांक 12 मई, 2013 को महामहिम राष्ट्रपति द्वारा 'नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगल अवार्ड' से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड 28 वर्षों की लम्बी अवधि के उपरांत बिहार राज्य के कर्मी को प्रदान किया गया।
- बिहार राज्य के पूर्णियां जिला के नगर प्रखंड के श्री रामेपुर पंचायत में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत आशा कार्यकर्ता अर्थात् मान्यता प्राप्त सामाजिक/स्वयंसेवी स्वास्थ्य कार्यकत्र्ता के रुप में कार्यरत पूनम देवी को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए तथा दरभंगा जिला के स्वास्थ्य उपकेन्द्र जोडजा में ए.एन.एम के रुप में कार्यरत गंगा कुमारी संस्थागत प्रसव में उत्कृष्ट कार्य के आधार पर दिनांक 11 अप्रैल, 2013 को 'राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस' के अवसर पर नई दिल्ली में पुरस्कार प्राप्त हुआ।
- दरभंगा जिला के कुशेश्वर स्थान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में कार्यरत ए.एन.एम. श्रीमती मार्था डोडरे को पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य के लिए UN Foundation and the United Nation Association }kjk UN Frontline Workers Global Leadership Award से पुरस्कृत किया गया।
- राज्य के सभी जिला अस्पतालों में हृदय रोग की वाह्य चिकित्सा, नेत्र रोग चिकित्सा, दंत रोग चिकित्सा, चर्म रोग चिकित्सा, मधुमेह रोगियों के ब्लड शुगर की जाँच की सुविधाएं नवम्बर, 2013 से उपलब्ध कराने हेतु कार्रवाई की गयी।
- वर्ष 2012 में राज्य के 180 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 36 सदर अस्पतालों तथा पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, नालन्दा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान, पटना एवं दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, दरभंगा को टेलीमेडिसीन के माध्यम से जोड़ते हुए ओ0पी0डी0 सेवा के अतिरिक्त विशेषज्ञ रेफरल चिकित्सा परामर्श सेवा प्रदान करने की व्यवस्था की गयी। इसके अलावा राज्य से बाहर के प्राईवेट अस्पताल यथा- Narayana Hrudayalaya, Bangalore इत्यादि से भी रेफरल सेवा टेलीमेडिसीन के माध्यम से प्राप्त करने की व्यवस्था शुरु की गयी।
- इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान में स्थापित कॉलेज ऑफ नर्सिंग में स्टेट नोडल सेन्टर की स्थापना की गयी। जनवरी, 2014 में भारतीय उपचर्या परिषद् द्वारा स्टेट नोडल सेन्टर को Centre of Excellence के रुप में मान्यता प्रदान की गयी।
- Nursing & Midwifery Cadre esa Pre-service Education को सुदृढ़ करने एवं नर्सिंग प्रशिक्षुओं के कौशल विकास हेतु 21 ए0एन0एम0, 4 जी0एन0एम0 तथा स्टेट नोडल सेंटर में MCH Skills Lab स्थापित एवं संचालित की गयी।
- 3 जी0एन0एम0 एवं 12 ए0एन0एम0 स्कूल में Virtual Classes, Satellite तथा Leaseline के माध्यम से State Nodal Centre] College of Nursing] IGIMS Patna द्वारा 16 सितम्बर, 2013 से प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया।
- फरवरी, 2014 में स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व निर्धारण हेतु ओ0पी0डी0 में मरीजों के लिए कम्प्यूटरीकृत निबंधन प्रणाली **"संजीवनी"** का शुभारंभ किया गया।
- लोक निजी साझेदारी के तहत् राज्य के 8 चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों तथा 16 जिला अस्पतालों में डायलिसिस यूनिट की स्थापना एवं क्रियान्वयन हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार एवं M/s B.Braun Medical (I) Pvt.Ltd., Mumbai के बीच अनुबंध हस्ताक्षरित किया गया तथा अगस्त, 2014 से नालन्दा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना में डायलिसिस यूनिट की सेवा प्रारंभ हुई
- किशोर प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य कार्यक्रम (ARSH) के तहत राज्य के 23 जिलों में 83 युवा क्लिनिक की स्थापना की गयी। इस क्लिनिक में 10-19 वर्ष के आयु वर्ग के किशोर-किशोरियों को स्वास्थ्य सेवाएँ मुहैया कराया गया।

बिटिया मेरी अभी पढ़ेगी, शादी की सूली नहीं चढ़ेगी।

14 साल की बिटिया है, लगवाओ न तुम फेरे,
कंधों पर बस्ता दे दो, जाएगी स्कूल सुबह-सवेरे।

बेटी है एक वरदान। दहेज देकर मत करो अपमान।।

अवैध शराब एवं मादक द्रव्य के संबंध में शिकायत
टॉल फ्री नं. 18003456268 या 15545 पर करें।